कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 121 / 14–1, दिनांकःअलीगढ़,जुलाई 10 , 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,
हाथरस।

विषयः– **जनपद हाथरस में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) कि0मी0 37 ग्सी0एच0 36.590) की बांयी पटरी पर ग्राम अतुर्रे तहसील–सादाबाद में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में निर्माण हेतु प्रभावित 0.0604885646 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपका पत्र संख्या 57/14–1 दिनांक 04.07.2018

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) कि0मी0 37 सी0एच0 36.590) की बांयी पटरी पर ग्राम अतुर्रे तहसील–सादाबाद में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में निर्माण हेतु प्रभावित 0.0604885646 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गयी हैं।

1. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–। के बिन्दु संख्या K(i) में एफ0आर0ए0 प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं है।
2. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 21–22 पर प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों के मुहर सहित हस्ताक्षर नहीं है एवं प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस के हस्ताक्षर नहीं है तथा स्थान व तिथि अंकित नहीं है।
3. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 39 पर संलग्न प्रमाण–पत्र में प्रभावित संरक्षित भूमि 0.06048856 हे0 दर्शायी गयी है वह त्रुटिपूर्ण है।
4. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 44 पर संलग्न प्रमाण–पत्र में प्रभावित संरक्षित भूमि 0.06048856 हे0 दर्शायी गयी है वह त्रुटिपूर्ण है।
5. प्रस्ताव में क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा मौके पर तैयार किया गया नजरी नक्शा संलग्न नहीं है।
6. प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में विगत दस वर्षो में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) कि0मी0 37 सी0एच0 36.590) की बांयी पटरी पर किये गये वृक्षारोपण का वर्षवार पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्ताव की 04 मूल पत्रावलियां आपको इस आशय से वापिस की जाती है कि आप उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की 04 मूल प्रतियां।

(वी0के0 मिश्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii